## सामाश्रुक आयुक्त (जनरल) का कायालय सीमाशुल्क मुंबई जोन ॥, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा, ता. उरण, जिला रायगड, महाराष्ट्र - 400707

फ़ा संख्या : एस-5/जनरल-01/2015 हिन्दी

दिनांक : 08 .12.2017

## परिपत्र /CIRCULAR

विषय: नेमी पत्रों, आवरण पत्रों एवं धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले नेमी कागजातों को द्विभाषी तैयार

करवाने एवं उनका द्विभाषी स्वरूप का प्रयोग करने से संबन्धित।

Sub: Preparing routine letters, covering letters and all other documents coming

under Section 3(3) of the O.L. Act 1963, in bilingual form and its usage-Reg.

सीमाशुल्क अंचल ॥ की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने तथा राजभाषा प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन हेतु लिए गए निर्णय के अनुसार, सभी अनुभाग प्रभारी । प्रमुख अपने अनुभागों से जारी किए जाने वाले नेमी (Routine) पत्रों, आवरण पत्रों (Covering letters), धारा 3(3) के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले कागजातों (सामान्य आदेश, स्थायी आदेश, परिपत्र, लोक सूचना, प्रशासनिक रिपोर्ट, नियम, टेंडर, लाइसेन्स, प्रेस विज्ञप्ति, संकल्प, अधिसूचना) की पहचान करें और उनके प्रारूप द्विभाषी रूप में परिवर्तित करवाने के लिए हिन्दी अनुभाग को प्रेषित करें। इसके उपरांत भविष्य में उक्त कागजातों के आवश्यक रूप से द्विभाषी स्वरूप को ही प्रयोग में लायें।

In accordance with the decision taken in the joint Official language implementation committee meeting for enhancing the percentage of Hindi Correspondence and proper implementation of the Official language provisions, all Section In-charge/Heads are instructed to identify the routine letters, covering letters and the documents coming under Sections 3(3) of the O.L. Act 1963 (i.e. General order, Standing order, Circulars, Public Press Communiqué, Resolution, Rule, Tender, License, Report, Notification) in respect of their Sections and send it to the Hindi Section so as to enable them to convert in bilingual. Henceforth, such documents, orders shall be prepared / issued only in bilingual format.

अपर आयुक्त-सीमाशुल्क

प्रतिलिपि/Copy to,

सभी अनुभाग प्रमुखों को / All Section Heads